

पूर्व मध्य रेल



कार्यालय आदेश सं-21 /2021

इस कार्यालय का पत्र सं-का/283/05/इंजी0/अम-अरे/सोन/2019 दिनांक-26.11.2019 एवं मंरेप्र(का0)/मालदा मंडल, पूर्व रेलवे का पत्र सं-07.07.2020 के द्वारा श्री राजेश कुमार, ट्रैकमेन्टेनर-IV वेतनमान 5200-20200+1800 जीपी (लेवल-1) अधीन वसेई/पथ/जमालपुर, मालदा मंडल तथा श्री निलकन्ठ कुमार, ट्रैकमेन्टेनर-IV वेतनमान 5200-20200+1800 जीपी (लेवल-1) अधीन वसेई/पथ/खगड़िया, सोनपुर मंडल के बीच पारस्परिक स्थानान्तरण स्वीकृति प्रदान की गई है।

मंरेप्र(कार्मिक)/मालदा मंडल के पत्र सं-07.07.2020 के द्वारा श्री राजेश कुमार विरमित होकर इस कार्यालय में योगदान हेतु दिनांक-14.12.2020 को रिपोर्ट किये हैं, को समान पद, वेतन, वेतनमान एवं ग्रेड पे में वसेई/पथ/खगड़िया के अधीन पदस्थापित किया जाता है।

श्री राजेश कुमार का अन्य सेवा विवरण हेतु मंरेप्र(का0)/मालदा का पत्र दिनांक-11.12.2020 की छायाप्रति संलग्न है। इनका रिपोर्ट करने की तिथि-14.12.2020 से कार्यालय आदेश जारी होने तक की तिथि को ड्यूटी हेतु प्रतिक्षारत रहे हैं।

चूंकी ये पारस्परिक स्थानान्तरण पर आये हैं अतः स्थानान्तरण संबंधी कोई लाभ देय नहीं होगा एवं वरीयता नियमानुसार देय होगी। नियमानुसार दोनों कर्मचारी पुराने यूनिट में स्थानान्तरण नहीं लेंगे। कर्मचारी के आवश्यक पहचान हेतु पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर का नमूना एवं बायें हाथ के अंगूठे का निशान राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित है।

	Rajesh Kumar
	

उपरोक्त पर वमई(समन्वय)/सोनपुर का आदेश प्राप्त है।

(रवि कुमार पंडित)  
सहायक कार्मिक अधिकारी-11  
कृते मंरेप्र(कार्मिक)/सोनपुर  
दिनांक-12.01.2020

सं- का/283/05/इंजी0/अम-अरे/सोन/पोस्टिंग/स्पेयरिंग/2020  
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित-

1. मंरेप्र(का0)/मालदा, पूर्व रेलवे-कृपया उपरोक्त कर्मचारी का लेखा विभाग द्वारा विधिज्ञित सेवा अभिलेख,अवकाश खाता समई(पूर्व)/बरौनी कार्यालय को उपलब्ध करवायें।
2. वमई(समन्वय), वमविप्र/सोनपुर।
3. समई(पूर्व)/बरौनी- इस कार्यालय क कार्यालय आदेश सं-697/2020 समसंख्यक पत्र दिनांक-18.12.2020 के क्रम सं-16 पर अंकित श्री निलकन्ठ कुमार, ट्रैकमेन्टेनर-IV अधीन वसेई/पथ/खगड़िया को सत्यापित पहचान के साथ एवं डीएआर/एसपीई/विज0 की सजा से मुक्त होने पर इस कार्यालय को विरमित किया जाय, ताकि श्री निलकन्ठ कुमार को मालदा मंडल को विरमित किया जा सके।
4. वसेई/पथ/खगड़िया
6. संबंधित कर्मचारी। 7. अभिलेख प्रति। 8. कार्यालय आदेशप्रति।
9. मंडलमंत्री/ईसीआरकेयु, अजा-अजजा एशो0 एवं ओबीसी एशो0 सोनपुर मंडल।

कृते मंरेप्र(कार्मिक)/सोनपुर